फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री रतन सिंह सिसोदिया निवासी हमेला का वास, समीचा, तहसील कुंभलगढ़ जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 100/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 17.11.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ से जरिये पत्र क्रमांक :— निर्वाचन/RTI/2025/1596 दिनांक 12.11.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत एक अपील प्रस्तुत कर अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु धारा 6(1) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रत्यर्थी द्वारा प्रार्थी को नियमानुसार वांछित प्रतिलिपि डाक द्वारा भिजवा दी गयी है अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड पत्र से जवाब की हूबहू प्रति इस कार्यालय के पत्रांक : निर्वाचन/RTI/2025/232 दिनांक 01.10.2025 के द्वारा भिजवायी गयी। अपीलार्थी को वांछित सूचना उक्त अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत भिजवा दी गयी है। जो कि कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार हैं। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना राज्य सरकार से संबंधित होने तथा उक्त बाबत प्रार्थी को लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ द्वारा जरिये पत्रांकः निर्वाचन/RTI/ 2025/232 दिनांक 01.10.2025 के द्वारा निश्चित समयावधि में सूचित किये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)